BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 304/2025

IN THE MATTER OF:
YADRAM

…**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

…**RESPONDENT(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, NOIDA, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE COMPLAINT DATED 05.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE H2 CASE DATED 05.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE WRITTEN STATEMENT DATED 06.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	THE COPY OF NOTICE DATED 08.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

	ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF RECEIPT OF THE PENALTY PAID BY THE VIOLATOR IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-5**	
7.	A COPY OF THE REPORT DATED 18.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF LETTER DATED 19.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-7**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 09.10.2025
PLACE: NOIDA

NOTARY GOVT. OF INDIA K.P. Yadav Reg. No. 4123 NOTARIAL

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 304/2025

IN THE MATTER OF:
YADRAM

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, NOIDA, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Parbal Singh Negi aged about 58 years, S/o Shri Kalam Singh Negi posted as Administrative officer, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Parbal Singh Negi am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That in the present matter, the Applicant has alleged the illegal felling of 12 well-grown mature trees located at khasra no.3/3, Village Haibatpur, Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar.

NOTARY GOVT. OF INDIA K.P. Yadav Reg. No. 4123

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.07.2025 directed the Respondents to file their replies. The operative part of the order is as stated below:

   "...4. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

   5. Issue notice to the respondents for filing their reply by way of affidavit within four weeks..."

4. That a written complaint dated 05.03.2025 was submitted by Shri Yadram Yadav (the Applicant), which was received in the office of the Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar. The Applicant vide the compliant informed the Forest department of the illegal felling of 12 trees.

   A copy of the complaint dated 05.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That in pursuance to the complaint filed by the Applicant, the Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar directed the Range Forest Officer, Gautam Budh Nagar to conduct a spot inspection and duly prepare and submit a report of the same.

6. That in compliance of the directions issued by the DFO, the RFO conducted a spot inspection dated 05.03.2025 wherein illegal felling of 12 trees were observed. Thereafter, the RFO filed a H2 case no. 77/2024 dated 05.03.2025 under Section 4 and 10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976 against the violator, Mr. Suresh for illegal felling of 12 trees having species and no.-

   - 3 Jamun,
   - 3 Neem,
   - 3 Bakain,
   - 2 Shisham and;
   - 1 Eucalyptus

   A copy of the H2 case dated 05.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**

7. That the violator, Mr. Suresh, upon the registration of the case, furnished a written statement dated 06.03.2025 admitting his offence of illegal felling of 12 trees and agreed to deposit the prescribed penalty Rs. 52,000/-.

NOTARY
K.P. Yadav
Reg. No. 4123
GOVT. OF INDIA

A copy of the written statement dated 06.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**

8. That accordingly, a notice dated 08.03.2025 was issued to the accused, Shri Suresh, son of Shri Jaggu, directing him to deposit the penalty amount of Rs. 52,000/- for the illegal felling of 12 trees by 11.03.2025.

   The copy of notice dated 08.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**

9. That in compliance of the aforementioned notice, the violator, Shri Suresh, son of Shri Jaggu, deposited the compensation amount of Rs. 52,000/- vide Challan E-3 No. 2725/001 dated 10.03.2025 in the office of the Range Forest Officer, Dadri.

   A copy of receipt of the penalty paid by the violator is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**

10. That the report dated 18.03.2025 was duly submitted to the DFO, Gautam Budh Nagar by the RFO informing regarding all the above- mentioned inquiries and actions undertaken in pursuance of the complaint filed by the Complainant (Applicant herein).

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 GOVT. OF INDIA

A copy of the Report dated 18.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6**

11. That subsequently, the DFO vide letter dated 19.03.2025 informed the Applicant regarding all the actions taken by the Forest Department in pursuance of the complaint filed on 05.03.2025. It is submitted that the aforementioned letter has been received by the Applicant.

A copy of letter dated 19.03.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7**

12. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

P. S[illegible]

DEPONENT

NOTARY
K.P. Yadav
Reg. No. 4123
GOVT. OF INDIA

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 09 day of OCTOBER, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

P.S Negi

DEPONENT

NOTARY
K.P. Yadav
Reg. No. 4123
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

9 OCT 2025

वन विभाग
जिला गौतमबुद्धनगर

सेवा में,

[illegible]

थाना- बिसरख, जिला- गौतमबुद्ध नगर।

विषय- मुझ प्रार्थी यादराम पुत्र जग्गू मालिक व काबिज खसरा संख्या- 3/3 के 1285 वर्ग गज पर सहखातेदार भाई सुरेश पुत्र जग्गू, जो नगर निगम गाजियाबाद में कार्यरत है व गंभीर भू-माफिया है, अपने हिस्से की 1285 वर्ग गज जमीन पर अवैध रुप से प्लाट काटने के बाद अब मेरी 1285 वर्ग गज जमीन के पेड़ काट लेने व जमीन को अपनी जमीन बताने व अवैध रुप से प्लाट काटने व प्रार्थी को जान से मारने कि धमकी व बेटो सहित अमादा फौजदारी हो जाने कि बाबत घनघोर शिकायत पत्र।

श्रीमान जी,

मैं प्रार्थी यादराम यादव पुत्र श्री जग्गू, निवासी- ग्राम हैबतपुर हूँ। हम पाँच भाई हैं, जो इस प्रकार से हैं- (1) दीपचन्द्र पुत्र जग्गू, (2) जयप्रकाश पुत्र जग्गू, (3) दयाराम पुत्र जग्गू, (4) सुरेश पुत्र जग्गू एवं (5) मैं यादराम पुत्र जग्गू हूँ। मैं वादी/याची द्वारा पुश्तैनी जमीन का बंटवारा, जिसका खसरा संख्या- 3/3, ग्राम हैबतपुर, तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्ध नगर है। इस खसरा संख्या 3/3 में मेरे भाइयों ने बराबर-बराबर हिस्से करके 1285 वर्ग गज प्रत्येक भाई के हिस्से में आई हैं।

श्रीमान जी, मेरे भाई अपनी जमीन बजरिये बैनामा बेच चुके हैं व मेरा भाई सुरेश भी अपने हिस्से की 1285 वर्गगज में से करीब 1008 वर्ग गज जमीन बेच चुका है व कल दिनाँक 02.03.2025 को मेरे हिस्से 1285 वर्ग गज में खड़े 12 छायादार पेड़ों को अवैध रुप से काट डाले व अमादा फौजदारी होकर प्रार्थी कि जमीन को भी अपना बताकर प्लाट काटने की धमकी दे रहा है। श्रीमान जी, सुरेश पुत्र जग्गू के हौसले बहुत बुलंद हैं व नगर निगम गाजियाबाद में कार्यरत होने के बावजूद भयंकर भू-माफिया है व अपने पुत्रों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी है व अमादा फौजदारी हो गये। मेरा नाम फर्द में पूर्व से दर्ज है व 1285 वर्ग गज का मैं तनहा मालिक हूँ, परन्तु मेरा भाई सुरेश पुत्र जग्गू जिसने रकबे की कुछ ज्यादा जमीन भू-माफिया होने के कारण हथिया रखी है व सुरेश जिसका एक पुत्र दिनेश होमगार्ड में कार्यरत है व पुलिस के झूठे केसों में फँसाने की धमकी देकर अमादा फौजदारी हो जाता है व एक पुत्र रूपचन्द उर्फ़ अजय जो सुन्दर भाटी गैंग से

श्रीमान जी, मैंने आज दिनाँक तक अपने 1285 वर्ग गज से एक सूत जमीन भी नहीं बेचीं है, परन्तु मेरा भू-माफिया भाई जिससे मेरा आना-जाना भी नहीं है। मेरी जमीन पर लगे पेड़ अवैध रुप से काट लिये व फर्जी कागजों द्वारा मेरी जमीन को अपना बताकर प्लाट काटने हेतु सुगठित है।

अतः श्रीमान जी, से प्रार्थना है कि विपक्षी सुरेश पुत्र जग्गू कार्यरत नगर निगम गाजियाबाद व उसके पुत्र दिनेश व रूपचंद उर्फ़ अजय व तिलक उर्फ़ कल्लू पुत्रगण सुरेश के विरुद्ध नकली कागजात बनाने व अवैध रुप से जमीन पर प्लाट काटकर भू-माफिया के अवैध कृत्य में लिप्त होकर प्रार्थी की जमीन पर कब्ज़ा करने व मारपीट करके लहूलुहान करने की बाबत सख्त व उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायसंगत कार्यवाही करें।

प्रार्थी यादराम

दिनाँक- 05/03/2025

यादराम यादव पुत्र श्री जग्गू
निवासी- ग्राम- नया हैबतपुर,
जिला- गौतमबुद्ध नगर
मो०नं०- 7678231186

क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी 783 17/3/25

~~श्रीमान गोल~~ श्री राम अवतार, वन दरोगा जांच कर आख्या दें

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 4071/133-3 दिनांक 15-03-2025
प्रतिलिपि RO दादरी वन विभाग को संबंधित बिन्दु पर आख्या उपलब्ध करायें

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

बुक नं0 606 क्र0 नं0 41 **ANNEXURE-2**

77/24-25

वन आकार पत्र सं0 एच–2

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

अन्य अपराध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 प्रसूचना (रिपोर्ट सं0 ——— दिनांक 05/03/2025 अधिक्षेत्र (रेन्ज) दादरी

1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान । सुरेश पुत्र जग्गु निवासी – हैबतपुर ग्रेटर नोएडा

2. साक्षी का नाम श्री राहुल भारद्वाज (व.र.)

3.कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक बिना अनुमति वृक्षों का कटना

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन विभागीय कार्यवाही

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

आज दिनांक 05/03/25 को शिकायत के आधार पर मैं अपने हमराह श्री राहुल भारद्वाज (व. र.) के साथ मौके पर पहुचा तो देखा कि सुरेश पुत्र जग्गु निवासी हैबतपुर ग्रेटर नोएडा में अभियुक्त द्वारा 12 वृक्षों का अवैध कटान किया गया है आस पास पूछताछ पर पता चला कि अभियुक्त द्वारा कार्य किया गया है जो कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

[signature]

महेन्द्र पाल

वन सहायक

Scanned with OKEN Scanner

ईंधन केस सं० -77/2024-25/दादरी दिनांक - 05/0[illegible] संलग्नक -6

एच-2 केस की जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी दादरी के आदेशानुसार मेरे द्वारा की गयी, जांच आख्या निम्न प्रकार है —

श्री महेन्द्र पाल क्षेत्र सहायक को साथ लेकर दिनांक 16/03/25 को [illegible] [illegible] मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया मौके पर [illegible] गौरा पृच्छा मौके पर जाकर [illegible] अभियुक्त सुरेश द्वारा 12 वृक्ष जिसमें 03 नीम (व्यास - 72, [illegible] सेमी०, [illegible] 03 जामुन (165 सेमी०, 82 सेमी०, 76 सेमी०), 2 शीशम (व्यास [illegible] 68 सेमी०), 03 यूकेलिप्टस (व्यास 113, 95, 195 सेमी०), 1 अल्स्टोनिया [illegible] व्यास 98 सेमी० का अवैध कटान कर दिया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर फैसला वन विभाग से चाहते है।

अभियुक्तों के द्वारा अपने बयानों के आधार पर ई-3 सं० [illegible] दिनांक 10/03/2025 द्वारा रु० 52000/— प्रतिकर के रूप में जमा किया।

अतः अभियुक्त द्वारा वृक्ष संरक्षण अधि० 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत किये गये अपराध को प्रशमित करने की संस्तुति की जाती है।

Pe 16/03/25
रामअवतार
[illegible] / वनदरोगा
दादरी रेंज

संलग्नक:- 1. एच-2 केस
2. ई-3 की छायाप्रति
3. बयान
4. नक्शा नजरी

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

महोदय,
उक्त केस की जांच श्री रामअवतार वन दरोगा से कराई, उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने अपने बयान देकर अपना जुर्म स्वीकार किया और फैसला वन विभाग से चाहा है। अभियुक्त ने ई-3 सं० 2725/077 दिनांक 10/03/25 द्वारा रु० 52000/- प्रतिकर के रूप में जमा किये।

10 दादरी 04-06/2025

भवदीय
[signature] [illegible]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

/24-25

ANNEXURE-3

मै० श्री० क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी सै० E-1 नौएडा

मै ब्यान करता हूँ कि मेरा द्वारा खसरा 3/3 मे बिना वन विभाग को बिना अनुमति के वृक्षो को काट गया मुझे यह नही पता थी वृक्षो काटने एवं वन विभाग की अनुमति लेनी पडती है मै अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ और 52000 रु० जमा कर केस को खत्म करता हूँ विभाग के सहयोग चाहता हूँ यही मेरा ब्यान है जो कि मै बिना किसी दबाव दे रहा हूँ।

सुरेश

दिनांक 6/3/25

उक्त ब्यान मेरे द्वारा लिया गया

ब्यान 06/03/25
वन रक्षक

उक्त ब्यान मेरे समक्ष लिया गया

06/03/25

ANNEXURE-4

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

सुरेश पुत्र जग्गू
निवासी–ग्राम– हेबतपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषयः– वृक्षों की अवैध पातन के सम्बन्ध में।

नोटिस

आपके द्वारा ग्राम–हेबतपुर, ग्रेटर नौएडा में वृक्षों का अवैध पातन किया गया। जिसके क्रम में दादरी रेंज केस संख्या 77/2024–25 दिनांक 05.03.2025 इजरा किया गया। उक्त एच–2 केस के क्रम में आपके द्वारा दिनांक 06.03.2025 को लिखित ब्यान दिये गये है कि आप प्रतिकर धनराशि रू0 52000/– मात्र जमा कर वन विभाग से फेसला चाहते है परन्तु आज दिनांक 08.03.2025 तक आपके द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा नही करायी गयी है।

अतः आप उक्त एच–2 केस की प्रशमन धनराशि दादरी रेंज कार्यालय मे जमा कराना सुनिश्चित करें।

यदि आप दिनांक 11.03.2025 तक प्रतिकर धनराशि जमा नही कराते है तो आपके विरूद्व उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

सुरेश
दिनांक 8/3/25

(राम अवतार)
वन दरोगा।

ANNEXURE-5

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

ई-3

वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

बुक नं०: 2725 नं० 001

उ०प्र० गौतमबुद्धनगर वन विभाग दादरी रेंज

श्री सुरेश पुत्र श्री जग्गू, ग्राम हनुमानपुर, ग्रेटर नोएडा

से मुबलिग रूपये 52,000/- रु० (बावन हजार) मात्र

बाबत रेंज केस सं० 77/2024-25 का प्रतिकर प्राप्त किये।

दिनांक 10/03/2025

(signature)
वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

ANNEXURE-6

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई–1 सैक्टर–1 नोएडा

पत्रांक 792 / 33–3 दादरी दिनांक 18.03.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

विषयः मुझ प्रार्थी यादराम पुत्र जग्गू मालिक व काबिज खसरा संख्या 3/3 के 1285 वर्ग गज पर सहखातेदार भाई सुरेश पुत्र जग्गू, जो नगर निगम गाजियाबाद में कार्यरत है व गंभीर भू–माफिया है, अपने हिस्से की 1285 वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटने के बाद अब मेरी 1285 वर्ग गज जमीन के पेड़ काट लेने व जमीन को अपनी जमीन बताने व अवैध रूप से प्लॉट काटने व प्रार्थी को जान से मारने कि धमकी व बेटों सहित अमादा फौजदारी हो जाने कि बाबत घनघोर शिकायत पत्र.।

सन्दर्भः आपका पत्रांक 4071 / 33–3 दिनांक 15.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में शिकायत की जांच श्री राम अवतार, वन दरोगा द्वारा की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर जाकर जांच कि गयी, जांच के दौरान सामने आया कि अभियुक्त द्वारा 12 वृक्षों का अवैध पातन किया गया। अभियुक्त के खिलाफ दादरी रेंज केस संख्या 77/2024–25 दिनांक 05.03.2025 इजरा किया गया तथा धनराशि रू0 52000/– मात्र ई–3 संख्या 2725/001 दिनांक 10.03.2025 प्रतिकर जमा कर विभागीय कार्यवाही की गयी।

अतः शिकायत की जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर

(signature)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई–1 सै0 1 नोएडा।

पत्रॉक 4134 /33–3 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 19-03- 2025 ।

सेवा में,

श्री यादराम यादव पुत्र श्री जग्गू
निवासी ग्राम नया हैबतपुर
जिला गौतमबुद्धनगर।

विषयः– खसरा संख्या 3/3 के 1285 वर्ग गज पर पेड काटने, अवैध रूप से प्लाट काटने व जान से मारने की धमकी देने बाबत शिकायत के संबंध में।

संदर्भः– आपका शिकायती पत्र दिनांक 05–03–2025

महोदय,

उपरोक्त दिनांकित शिकायती पत्र का अवलोकन करे। शिकायती पत्र में आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 3/3 के 1285 वर्ग गज में अवैध रूप से पेड काटने, जमीन पर कब्जा करने, प्लाट काटने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को स्थलीय जॉच कर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा अपने पत्रांक 792/33–3 दिनांक 18–03–2025 द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त द्वारा मौके पर 12 वृक्षो का अवैध पातन किया गया था जिसके कम में अभियुक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा–4/10 के अन्तर्गत वन अपराध संख्या 77/2024–25 इजरा किया गया तथा प्रतिकर ई–3 संख्या 2725/01 दिनांक 10–03–2025 द्वारा रू0 52000.00 प्राप्त कर जमा करया गया है। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्लाट काटने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। इसके लिये सम्बन्धित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते है

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

सख्या– / **उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को उनके पत्रांक 792/33–3 दिनांक 18–03–2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

21/3/25

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
...नगर वन प्रभाग

Scanned with OKEN Scanner